



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड,
जयपुर (फोन एवं फैंक्स न. 0141-2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/सलाहकार/2022/3326-30 दिनांक:- 21-9-2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सलाहकारी सेवाओं (कन्सलटेन्सी सर्विसेज) हेतु सलाहकारों (कन्सल्टेन्ट्स) के सूचीकरण के लिये कार्यालय पत्रांक 3086 दिनांक 30.08.2022 द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गई थी। सूचीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष दिनांक 20 सितम्बर 2022 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित आवेदकों में से श्री सीताराम शर्मा, सेवानिवृत्त उप सचिव, कार्मिक (क-4 अनु. 2) विभाग, राज., जयपुर का चयन किया जाकर परिशिष्ट-II में अंकित शर्तों पर दिनांक 31.03.2023 तक सलाहकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती है, जो भविष्य में आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है। कन्सलटेन्ट की नियुक्ति अनुबन्ध आधार पर है तथा संतोषजनक सेवा के अभाव में सलाहकार की नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण दर्शाए निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार नियुक्त सलाहकार को नियुक्ति के 15 दिन में उक्त सेवा शर्तों की सहमति देते हुए रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(प्रियंका गोस्वामी)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर।
2. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम।
4. श्री सीताराम शर्मा, सलाहकार
5. रक्षित पत्रावली

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

जयपुर